न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 70/2015 (225 आरटीए) लूणाराम वगै. बनाम धन्नूकंवर वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2015/00074)

1 लूणाराम पुत्र श्री जोराराम,
2 जसाराम पुत्र श्री मंगलाराम,
3 नेमाराम पुत्र श्री मंगलाराम,
4 करणाराम पुत्र श्री मंगलाराम,
5 किसनीदेवी पत्नी श्री मंगलाराम,
जातियान कुम्हार निवासी ग्राम भाण्डुजाटी, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 धन्नुकंवर पत्नी श्री मालमसिंह जाति राजपूत निवसी ग्राम भाण्डु चारणान तसहील शेरगगढ़ जिला जोधपुर।
2 किसनाराम पुत्र श्री रतनाराम जाति जाट निवासी ग्राम भाण्डु जाटी तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
3 भीखाराम पुत्र श्री मूलाराम,
4 रणछोडराम पुत्र श्री मूलाराम,
5 ओमाराम पुत्र श्री मूलाराम,
6 सुखाराम पुत्र श्री भादूराम
जातियान जाट निवसीगण ग्राम भाण्डुजाटी तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
7 सरकार जरिए तहसीलदार शेरगढ़, जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़
दिनांक 07.09.2015 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 5/2015

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री किशनाराम विश्नोई।
2 रेस्पो. सं. 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बुधाराम गोदारा।
3 रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 1 एवं उनके अधिवकता बाबजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.05.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 5/2015 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 5/2015 पेश किया गया तथा खेत खसरा नं. 912 व 912/4 जो कि अपीलांट की है, में से सड़क से लगाकर खेत खसरा संख्या 912/5 तक 12 फीट चौड़ा रास्ता घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज किया व अपीलांट को नोटिस जारी किए गए। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया कि रेस्पो. सं. 1 द्वारा जिस स्थान पर रास्ता मांगा गया है उस स्थान पर अपीलांट्स की तीन ढाणियां बनी हुई हैं, इस कारण से रास्ता दिया जाना संभव नहीं हैं। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 20.06.2015 को हल्का पटवारी ने मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें यह बताया गया कि प्रार्थी रेस्पो. द्वारा जिस स्थान पर रास्ता चाहा है उस स्थान पर मौके पर बिंदु ए से बी के बीच तीन ढाणियां बनी हुई हैं तथा मौके पर तारबंदी की हुई है। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पो. सं. 1 का प्रार्थना पत्र सं. 51/2012 इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 911 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। इसके पश्चात प्रार्थी रेस्पो. द्वारा एक नया प्रार्थना पत्र सं. 5/2014 दिनांक 10.06.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रथम पेशी दिनांक 10.06.2014 को ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा एकतरफा आदेश जारी कर अपने आदेश में लिख दिया कि प्रार्थी द्वारा धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता चाहा है अतः प्रार्थी के उक्त रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई का रकबा निकालते हुए डी.एल.सी. दर से रास्ते मे आने वाले रकबे की कीमत के संबंध में दोनों पक्षों के रूबरू रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार शेरगढ़ पेश करे। तथा पत्रावली बाद तलबी दिनांक 20.06.2014 को सुनवाई हेतु रखी गई। इसके पश्चात 20.06.2014 को तारीख पेशी पर पत्रावली नहीं रखी गई बल्कि सीधे ही तारीख पेशी 31.06.2014 रखकर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.06.2014 को मुकर्रर की गई। दिनांक 26.09.2014 को अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि यह प्रार्थना पत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है इस कारण अब इस प्रार्थना पत्र पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दुबारा कोई सुनवाई नहीं की जा सकती। इस कारण प्रार्थना पत्र 251ए निरस्त करने का निवेदन किया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2015 के द्वारा रेस्पो. सं. 1 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिए जाने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2015 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री किशनाराम विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को न तो नोटिस दिया और न ही सुनवाई का अवसर दिया। पूर्व में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका था उसके बावजूद पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था तथा अधीनस्थ न्यायालय को भी पुनः आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। पूर्व के प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मौके पर अपीलांट्स की तीन ढाणियां बने होने का उल्लेख था उस रिपोर्ट को नजरदांज करते हुए पुनः नए प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। रेस्पो. सं. 1 को प्रार्थी के खसरों के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था जिसे प्रार्थी द्वारा छुपाया गया है। वैकल्पिक रास्ते के संबंध में जांच किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जिसे निर्णित किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः उपरोक्त कारणों से अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 14.05.2017 पेज 294, आर.आर.डी. 14.08.2017 पेज 515 न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

5 रेस्पो. सं. 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बुधाराम ने बहस में कथन किया कि इस प्रकरण मे रेस्पो. सं. 2 से 6 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकरण से रेस्पो. सं. 2 से 6 का कोई लेना देना नहीं हैं। रेस्पो. सं. 1 के खेत में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खारिज किया जाना चाहिए। वैसे रेस्पो. सं. 2 से 6 को इस प्रकरण से कोई लेना देना भी नहीं हैं।

6 रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः

2015
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में रेस्पो. सं. 1 की ओर से धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते के लिए आवेदन किया था। परंतु रेस्पो. सं. 1 व उनके अधिवक्ता बाबजूद सूचना इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि इस संबंध में वे कोई अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन न्यायहित में प्रकरण का मैरिट पर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9 इस प्रकरण में यह तथ्य तो स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पो. सं. 1 का प्रार्थना पत्र सं. 51/2012 न्यायालय में रास्ते हेतु पेश किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 911 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। इसके पश्चता प्रार्थी रेस्पो. द्वारा एक नया प्रार्थना पत्र सं. 5/2014 दिनांक 10.06.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जिस पर अपीलांट ने धारा 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति की लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में धारा 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार शेरगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खसरा नं. 912, 912/4 तथा खसरा नं. 911 में से रास्ता 17 बिस्वा रकबे में डी.एल.सी. दर पर रास्ता घोषित करने के आदेश जारी किए गए।

इस प्रकरण में अपीलांट स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया था कि उसने खसरा नं. 911 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया था। लेकिन जैसा कि पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पो. सं. 1 ने खसरा नं. 911 के खातेदारों को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अब इस प्रार्थना पत्र के पक्षकार पूर्व के पक्षकारों से भिन्न होने के कारण रेस्जुडिकेटा की श्रेणी में नहीं रहा है। तथा प्रकरण में खसरा नं. 911 के काश्तकारों द्वारा कोई अपील पेश नहीं की है।

इस प्रकरण में अपीलांट ने यह आपत्ति भी पेश की है कि रेस्पो. सं. 1 के खसरे में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है परंतु उस वैकप्लिक रास्ते का स्पष्ट विवरण नहीं दिया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट विवेचन है कि पूर्व में बंटवारे के तहत रास्ता उपलब्ध था परंतु बंटवारा अपीलांट कोर्ट से निरस्त होने के कारण रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समस्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए रास्ता घोषित करने के आदेश पारित किए हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकर की राशि केवल डी. एल.सी. की दर से निर्धारित की है जबकि नियमों में डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि प्रतिकर रूप में निर्धारित करने का प्रावधान है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकर की राशि को राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं व रास्ता बिलानाम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिए हैं। जो धारा 251क के प्रावधानों के विपरीत हैं अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश संशोधित किये जाने योग्य पाया जाता है।

10 अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2015 को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि रास्ते के लिए जिन खातेदारों की भूमि ली गई हैं उन्हें डी.एल.सी. दर की दुगनी दर से प्रार्थी द्वारा प्रतिकर के रूप में राशि तहसीलदार शेरगढ़ के माध्यम से अदा की जावेगी। प्रतिकर की राशि अदा होने पर धारा 251क के प्रावधानों के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अमल दरामद किया जावे। शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

28/5/18

(दीताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(दीताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर